



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/2018/00221/CR-1

दिनांक : 14.03.2018

सेवा में,

श्री दिलीप कुमार शाह

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 25.02.2018, इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से CPIO (RTI Cell) से दिनांक 05.03.2018 को संख्या CICOM/R/2018/00221 के तहत आनलाइन प्राप्त हुआ है। जिसका उत्तर निम्नानुसार है:-

आपका RTI आवेदन दिनांक 05.02.2018 जो कि आयोग में डायरी संख्या 109143 दिनांक 09.02.2018 के तहत डायराइज हुआ जिसे की दिनांक 13.02.2018 को संख्या CICOM/R/2018/00165 के तौर पर पंजीकृत किया गया।

यह अधोहस्ताक्षरी CPIO को 13.02.2018 को CPIO (RTI Cell) से आनलाइन प्राप्त हुआ, चूँकि चाही गई सूचना का संबंध CR-II अनुभाग की कार्य प्रणाली से अधिक निकटता से सम्बंधित था अतः 15.02.2018 को RTI Portal के तहत इसे आनलाइन माध्यम से श्री आर एल गुप्ता, CR- II अनुभाग को प्रेषित कर दिया गया था।

छुट्टी पर रहने तथा कार्य की अधिकता की वजह से उपरोक्त कृत्य की जानकारी आप को नहीं दी जा सकी जिसके लिए खेद है।

श्री आर एल गुप्ता, उप पंजीयक & सी पी आई ओ (CR- II) से ज्ञात हुआ है कि उन्होंने उपरोक्त आर टी आई आवेदन पर आपको 15.02.2018 को ही पत्र संख्या CICOM/R/2018/00165/CR-II के तहत सूचना प्रदान कर दी थी। कथित पत्र की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु सलंगन है।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस, नई दिल्ली 110067।

संलग्न: उपरोक्त

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिव पंजीयक -उप /
केन्द्रीय रजिस्ट्री - 1

प्रतिलिपि :

1. श्री आर एल गुप्ता, CR- II, केन्द्रीय सूचना आयोग।
2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग - श्री आर एल गुप्ता द्वारा RTI संख्या CICOM/R/2018/00165 में दी गई सूचना की प्रति भी सलंगन है, आपके समसंख्यक पत्र दिनांक 15.02.2018 के संदर्भ में।

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिवपंजीयक -उप /